तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/1169/2005/भरतपुर **विजयराम व अन्य बनाम परसू उर्फ परसराम**	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जे.के.पारीक अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 वादी ने प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 22–11–02 से मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–5–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही कभी वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा रहा है इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार हैं इसलिये खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/1169/2005/भरतपुर **विजयराम व अन्य बनाम परसू उर्फ परसराम**	

निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की स्व अर्जित भूमि है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जावें।

5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये निगरानी खारिज करने का तर्क प्रस्तुत किया और कथन किया कि यदि प्रार्थीगण अपने आप को अकेले खातेदार मानते हैं तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि यह भूमि उनके पास कहां से आई। भूमि पैतृक है अथवा स्व अर्जित है यह साक्ष्य का विषय है जिसका निर्णय साक्ष्य के द्वारा मूल वाद में होगा। दौराने वाद यदि वादग्रस्त आराजी का बेचान अथवा हस्तान्तरण हो जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद वाहुल्यता बढेगी इसलिये विचारण न्यायालय ने मूल वाद के निर्णय तक जो अस्थाई निषेधज्ञाा जारी की है वह विधिसमत है जिसकी अपीलीय न्यायालय से सही रूप से पुष्टि की है। निगरानी खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनकी स्व अर्जित है जबकि अप्रार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। इन सब बिन्दुओं का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होना है। इसलिये विचारण न्यायालय ने मूल वाद के निर्णय तक जो अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसकी अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम निगरानी के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। निगरानी का दायरा सीमित होता है। निगरानी के स्तर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/1169/2005/भरतपुर **विजयराम व अन्य बनाम परसू उर्फ परसराम**	
	पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की हो। 8– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	